an>

Title: Need to frame a transparent policy for providing employment on compassionate ground.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) ः मैं सरकार का ध्यान गंभीर एवं चिंताजनक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कल्याणकारी सरकार होने के नाते भारत सरकार ने एक अति जनकल्याणकारी नीति बनाई और अपनाई है। वह यह है कि सेवाकाल के दौरान किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी पात्र व्यक्ति को सरकार अनुकम्पा के आधार पर सामान्यता उसी विभाग में नौकरी देती है जिसमें मृत व्यक्ति कार्य कर रहा था। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने नियुक्ति में 5 प्रतिशत का कोटा निश्चित किया है और सभी विभागों द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से रक्षा विभाग के कर्मियों तथा अर्द्धसैनिक बलों के मामले में इस प्रकार की आवश्यकता सर्वाधिक है, परंतु ऐसी नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। किसी विभाग विशेष द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं, इसका कोई लेखा-जोखा अथवा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह भी पता नहीं कि क्या 5 प्रतिशत का कोटा पूरा किया जाता है अथवा नहीं। यदि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसके आश्रितों को यह आशा बंध जाती है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी और परिवार का भरण-पोषण करने वाले को परिवार की आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। परन्तु जब आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो उस परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। भगवान से और सरकार से उस परिवार का विश्वास कम होने लगता है और कभी-कभी वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं अथवा अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने संबंधी नीति को और अधिक सुदृढ़ व कल्याणकारी बनाया जाए और उस परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिले, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे आश्रित हताशा और निराशा का शिकार न हों और उन्हें आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले।